टेक चंद

बनाम

सत नारायण

सितम्बर 14, 1989

[ई.एस. वेंकटरमैया, मुख्य न्यायाधीश, के.एन. सिंह और एस नटराजन, न्यायधीशगण]

हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम, 1973: धारा 1 (3) और 13- अधिनियम का लागू होना- लागू होने से छूट की निश्चित अवधि- छूट तब तक जारी रहती है जब तक कि मुकदमे का निपटारा या फैसला नहीं हो जाता।

आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया, [1988] 4 एससीसी 284 में प्रतिपादित सिद्धांत को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, और अभिनिर्धारित किया:

1.1 छूट दस साल की अवधि के लिए लागू होगी और मुकदमे के निपटारे या निर्णय होने तक उपलब्ध रहेगी। [121 एच]

1.2 यदि याचिकाकर्ता सामान्य शर्तों पर वचनबंध दायर करने में विफल रहता है, डिक्री तुरंत निष्पादन योग्य हो जाएगी। [122 बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 5628/1988

नियमित द्वितीय अपील संख्या 918/1987 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.1.1988 से

याचिकाकर्ता की ओर से - पी.पी. राव और शकील अहमद

प्रत्यर्थी की ओर से - एस.सी. माहेश्वरी, पी.के. चक्रवर्ती, सुश्री संध्या गोस्वामी और वी.के. भारद्वाज

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम 1973 से उत्पन्न इस मामले को हमने सुना है। हमें लगता है कि यह मामला पूरी तरह से *आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया*, [1988] 4 एस.सी.सी. 284 में माननीय न्यायाधीश सब्यसाची मुखर्जी और माननीय न्यायाधीश रंगनाथन के फैसले के दायरे में आता है। हम उस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी. माहेश्वरी का कहना है कि डिक्री को 30 अप्रैल, 1990 तक निष्पादित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि आज से चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में सामान्य शर्तों पर एक उपबंध दायर किया जाए। यदि उपबंध दायर नहीं किया गया है, तो डिक्री तुरंत निष्पादन योग्य हो जाएगी।

जी.एन.

याचिका खारिज की जाती है।

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रोहित शर्मा आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।